

डिक्री बमुकदमें ईब्बदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 224/2024




1. अंग्रेजसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरतेज सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. जसपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. जसवीर सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. वीरपालकौर पुत्री प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरतेजसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति कुम्हार साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
4. खदेवसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति कुम्हार साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
5. श्रीमती कौर पत्नी प्रकाशसिंह जाति कुम्हार साकिन संगरिया तहसील संगरिया
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा वकील वादी गिन जागिन मुदई श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

वादीगण को चक नं. 14 एमजेडी खाता सं. 61/49 में कुल 0.526 है. व खाता सं. 60/31 में कुल 3.0020 है. व खाता सं. 59/67 कुल 0.772 है. भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। उक्त खातों से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा खाता सं. 61/49 में 0.020 है. भूमि प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 का कम किया जाता है तथा चक नं. 18 ए.एम.पी. में अंग्रेज सिंह 0.590 है. गुरतेजसिंह 0.590 है. जसपाल सिंह 0.591 है. जसवीर सिंह 0.590 है. व वीरपाल कौर 1.687 है. जो खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। उक्त खाता से वादीगण का हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किए जाने के आदेश दिए दिए जाते है तथा वादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जाता है

वादीगण 1 अंग्रेजसिंह 2-गुरतेजसिंह 3-जसपालसिंह 4-जसवीरसिंह पि. प्रेमसिंह जाति जटसिख साकिनान शाहपीनी तहसील संगरिया की बहिब कब्जा काश्त की भूमि का विवरण:-


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क- चक नं. 14 एमजेडी खाता सं. 61/49 में

प.नं. मु.नं. कि.नं.
127/177 10 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025
16/1/0.010 उत्तरी पासा, 17/0.010 उत्तरी पासा
कुल 0.526 है. नहरी मय गै.मु.

ख- चक नं. 14 एमजेडी खाता सं. 60/31

प.नं. मु.नं. कि.नं.
127/177 10 1 से 4/0.164, 5/1/0.152, 6/1/0.228, 7ता13/1.771
128/177 9 1/1/0.139, 1/2/0.025, 2/2/0.031, 7ता13/1.771
कुल 3.002 है. नहरी मय गै.मु.



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नं. 14 एमजेडी खाता सं. 59/67

प.नं. मु.नं. कि.नं.
/177 12 16/1/0.013, 17 ता 19/0.759 कुल 0.772 है. नहरी मय गै.मु.

चक नं. 18 ए.एम.पी. खाता सं. 70/43 में अंगेज सिंह 0.590 है. गुरतेजसिंह 0.590 है. जसपाल सिंह 0.591 है. जसवीर सिंह 0.590 है. व वीरपाल कौर 1.687 है. हिरसा इन्द्राज किया जाकर प्रेम सिंह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2014 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया